न्यायालय विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी० एक्ट, गोण्डा।

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–822/2026

CNRNo.UPGD010025352026

1–कैलाश नाथ मिश्रा उम्र करीब 55 वर्ष पुत्र रामजीव,

2–शिवनाथ उम्र करीब 50 वर्ष पुत्र रामजीव,

3–रजनीश मिश्रा उम्र करीब 26 वर्ष पुत्र श्रीनाथ,

4–स्वतंत्र कुमार उम्र करीब 32 वर्ष पुत्र कैलाशनाथ,

5–उत्तम कुमार उम्र करीब 22 वर्ष पुत्र शिवनाथ,

निवासीगण–लिलोई खुर्द, थाना–उमरीबेगमगंज, जिला–गोण्डा।

..... **प्रार्थीगण/अभियुक्तगण।**

बनाम

सरकार उ०प्र०।

..... **विपक्षी।**

मुकदमा अपराध संख्या–136/2025
धारा–191(2), 117(2), 115(2), 352, 351(2),
324(4)बी०एन०एस० व
3(2)5 ए, 3(1)ध एस०सी०/एस०टी० एक्ट,
थाना–उमरीबेगमगंज, जिला–गोण्डा।

दिनांक–04.06.2026

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **कैलाश नाथ मिश्रा, शिवनाथ, रजनीश मिश्रा, स्वतंत्र कुमार व उत्तम कुमार** की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–136/2025 धारा–191(2), 117(2), 115(2),352, 351(2), 324(4) बी०एन०एस० व 3(2)5 ए, 3(1)ध एस०सी०/एस०टी० एक्ट, थाना–उमरीबेगमगंज, जिला गोण्डा के प्रकरण में जमानत हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत मामले में अभियुक्तगण दिनांक–06.04.2026 से अन्तरिम जमानत पर हैं और आज न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण कर न्यायिक अभिरक्षा में है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा खुशियाल धोबी द्वारा इस आशय की लिखित तहरीर थाना–उमरीबेगमगंज, जनपद–गोण्डा में दी गयी कि प्रार्थी खुशियाल धोबी पुत्र हनुमान धोबी निवासी लिलोई खुर्द थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा का मूल निवासी हूँ। कल दिनांक–18.06.2025 को रात्रि 9.45 पर हरिजन आबादी की जमीन पर जबरन मिट्टी पाट रहे थे, प्रतिवादी श्रीनाथ मिश्रा, ओंकार मिश्रा, कैलाश मिश्रा, शिवनाथ मिश्रा पुत्रगण रामजीव मिश्रा, रजनीश मिश्रा पुत्र श्रीनाथ, स्वतन्त्र कुमार पुत्र कैलाश नाथ मिश्रा, उत्तम पुत्र शिवनाथ, कमलेश पत्नी शिवनाथ, बिट्टू बिट्टू पुत्री श्रीनाथ निवासीगण लिलोई खुर्द थाना उमरीबेगमगंज गोण्डा ने मुझे व मेरी पत्नी शालू देवी व लड़का अंकित कुमार व अमित कुमार व अजीत कुमार को धोबी

Digitally signed by Alok Sharma
Date: 2026.06.05 16:03:56 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

साले मादरचोद कहते हुए, जाति सूचक गाली गलौज करते हुए, लाठी मुक्का थप्पड़ से मारे तथा मोबइल व मोटर साइकिल स्कूटी को तोड़ कर क्षति ग्रस्त कर दिया है तथा जान माल से मार डालने की धमकी दी है। सूचना को आया हूँ। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि उचित कार्यवाही की जाय।

उपरोक्त तहरीर के आधार पर थाना–उमरीबेगमगंज, जिला–गोण्डा में दिनांक–19.06.2025 को 17.12 बजे, श्रीनाथ मिश्रा, ओंकार मिश्रा, कैलाश मिश्रा, शिवनाथ मिश्रा, रजनीश मिश्रा, स्वतंत्र कुमार, उत्तम, कमलेश व बिट्टू के विरूद्ध घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट अन्तर्गत धारा–191(2), 115(2), 352, 351(2), 324(4) बी०एन०एस० व 3(2)5ए, 3(1)ध एस०सी०/एस०टी० एक्ट, पंजीकृत की गयी। दौरान विवेचना धारा–117(2) बी०एन०एस० की बढ़ोत्तरी की गयी।

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि कथित घटना फर्जी बनावटी बेबुनियाद व मनगढन्त आधारो पर अंकित कराई गई है, जिसमें प्रार्थीगण निर्दोष व जमानत के पात्र व्यक्ति है। प्रार्थीगण के विरूद्ध लगाया गया आरोप पूर्णतयाः झूठा व निराधार है एवं प्रार्थीगण निर्दोष एवं जमानत के पात्र व्यक्ति है। प्रार्थीगण के द्वारा किसी प्रकार की कोई मारपीट, गाली, गलौज नहीं किया गया है, बल्कि प्रार्थीगण को राजनैतिक रंजिशवश फंसाया गया है। कथित घटना दिनांक–18.06.2025 की कही जाती है तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट काफी विलम्ब से दर्ज कराई गयी है, विलम्ब का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है, जबकि थाने की दूरी मात्र 6 किमी० है। सम्पूर्ण घटना क्रम में प्रथम सूचना रिपोर्ट व बयान अन्तर्गत धारा–161 सी०आर०पी०सी० के अवलोकन से स्पष्ट हो रहा है कि प्रार्थीगण द्वारा वादी को जातिसूचक शब्द का प्रयोग करके गाली–गुप्ता नहीं दिया है, इस कारण अन्तर्गत धारा–3(2)5ए, 3(1)ध, एस०सी०एस०टी० एक्ट का अपराध प्रार्थीगण के विरूद्ध नहीं बनता है। प्रार्थीगण न तो शिकायतकर्ता को जातिसूचक शब्दों सहित गाली देकर अपमानित किया है और न ही मूका, थप्पड व लाठी से मारापीटा है। शिकायतकर्ता का आरोप पूर्णतयाः झूठा है प्रार्थीगण ने उसे जान से मारने की धमकी भी नहीं दिया है। प्रार्थीगण द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट में वर्णित कोई भी घटना कारित नहीं की है, बल्कि शिकायतकर्ता द्वारा अनुसूचित जाति का होने का लाभ लेकर प्रार्थीगण के विरूद्ध फर्जी मुकदमा पंजीकृत कराया है जिसमें प्रार्थीगण जमानत के पात्र व्यक्ति है। सहअभियुक्तगण की जमानत न्यायालय श्रीमान् जी द्वारा पूर्व में स्वीकार की जा चुकी है। प्रार्थीगण भी समानता का लाभ पाने योग्य है। कथित घटना का कोई स्वतन्त्र साक्षी नहीं है और कथित घटना पूर्णतयाः बनावटी व फर्जी है। कथित घटना का कोई स्वतन्त्र साक्षी नहीं है और कथित घटना पूर्णतयाः बनावटी व फर्जी प्रतीत होती है। प्रकरण जमानतीय व स्पेशल एक्ट को छोड़कर शेष प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा परीक्षणीय है, जिसमें विवेचना पूर्ण होकर आरोप पत्र दाखिल हो चुका है, ऐसी दशा में साक्ष्य अथवा साक्षियों को प्रभावित करने का कोई सम्भावना भी अवशेष नही है। प्रार्थीगण का पूर्व का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और न ही प्रार्थीगण श्रीमान् जी द्वारा प्रदत्त जमानत का दुरूपयोग करेगा, न्यायहित में प्रार्थीगण को अपने बचाव में साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए दौरान विचारण जमानत पर रिहा किया जाना आवश्यक है। प्रार्थीगण की जमानत हेतु स्थानीय सम्भ्रान्त व प्रतिष्ठित जमानतदारान मौजूद है। अतः प्रार्थना–पत्र स्वीकार करते हुए दौरान विचारण

प्रार्थीगण को उचित बन्ध–पत्र व प्रतिभूओं के अधीन जमानत पर रिहा किये जाने की कृपा की जाय।

अभियोजन की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा अपराध की गम्भीरता के आधार पर जमानत का विरोध किया गया है और जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

मैंने आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता व विशेष लोक अभियोजक के तर्कों को सुना तथा सुसंगत प्रपत्रों का अवलोकन किया।

पत्रावली पर उपलब्ध केस डायरी के अवलोकन से विदित होता है कि प्रथम सूचक खुशियाल धोबी द्वारा दिनांक–18.06.2025 को आवेदकगण/अभियुक्तगण द्वारा जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए एक राय होकर गाली गुप्ता देते हुए मारने पीटने व जान माल की धमकी देने के आधार पर मुकदमा दर्ज कराया गया है। केस डायरी में संलग्न मजरूबों की आघात आख्या को संलग्न किया गया है, जिसमें चोटहिलों को आयी चोटें साधारण प्रकृति की है। मामलें में विवेचना उपरान्त आरोप पत्र दाखिल हो चुका है तथा दौरान विवेचना अभियुक्तगण को गिरफ्तार नहीं किया गया है। सम्बन्धित थाने से आवेदकगण/अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। आवेदकगण/अभियुक्तगण अन्तरिम जमानत पर है, उनके द्वारा अन्तरिम जमानत का दुरूपयोग नहीं किया गया है तथा स्वंय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर आत्मसमर्पण किया है, शेष अन्य बातें साक्ष्य का विषय है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए बिना गुण–दोष पर विचार व्यक्त किये आवेदकगण/अभियुक्तगण को जमानत पर छोड़े जाने का आधार पर्याप्त है, तद्नुसार आवेदकगण/अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **कैलाश नाथ मिश्रा, शिवनाथ, रजनीश मिश्रा, स्वतंत्र कुमार व उत्तम कुमार** की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–136/2025 धारा–191(2), 117(2), 115(2),352, 351(2), 324(4) बी०एन०एस० व 3(2)5 ए, 3(1)ध एस०सी०/एस०टी० एक्ट, थाना–उमरीबेगमगंज, जिला गोण्डा के मामले में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–822/2026 **स्वीकार** किया जाता है। अभियुक्तगण द्वारा मु०–30,000–30,000/–रूपये (तीस–तीस हजार रूपये) के व्यक्तिगत बन्धपत्र तथा समान धनराशि की दो–दो प्रतिभू दाखिल किए जाने पर उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए।

(आलोक शर्मा)

दिनांक–04.06.2026

विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी० एक्ट,
गोण्डा।
JO Code-UP1751